इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

निदेशकों हेतु आचार संहिता

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक २९ सितम्बर २००९ को मीटिंग संख्या १/२००९ में अनुमोदित)

संशोधन संख्या – १

(निदेशक बोर्ड द्वारा दिनांक १२ सितम्बर २०११ को मीटिंग संख्या ८/२०११ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से मतभेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेगा।

निदेशकों हेतु आचार संहिता

यह आचार संहिता इंडोरामा वेंचर्स पीसीएल और उसके सहायक कंपनियों और सहयोगियों ("कंपनी") के सभी निदेशकों पर लागू होती है।

निदेशक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शेयरधारकों द्वारा शेयरधारकों की तरफ से कंपनी के प्रबंधन और व्यवसाय की देखरेख हेतु अधिकृत किया गया है। अतः निदेशकों को निम्नलिखित आचार संहिता की अनुपालना करना और उसके अनुरूप ही कार्य करना होगा ।

सामान्य नियम

1. निदेशकों को कंपनी के हितों की रक्षा के लिए, कंपनी संगठन के उद्देश्य के लिए, विधि के अनुपालन के लिए एवं शेयरधारकों की बैठकों के प्रस्तावों की पूर्ति के लिए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से कार्य करना आवश्यक है ।

2. निदेशकों को कंपनी के कारोबार का संचालन कंपनी के शेयरधारकों, कर्मचारियों और हितधारकों के सर्वोत्तम हितों के लिए एवं कम्पनी की नीतियों के अनुरूप करना चाहिए और उसी अनुरूप सलाह प्रदान करनी चाहिए।

३. निदेशकों को अपनी सर्वोत्तम क्षमता द्वारा कंपनी के प्रबंधन की देखरेख करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कंपनी के कारोबार के संचालन कंपनी, शेयरधारकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में निष्पादित किया जाता है।

4. निदेशकों को बोर्ड के निदेशक-मंडल की और शेयरधारकों की प्रत्येक बैठक में भाग लेना चाहिए और उन्हें निर्णय लेने में अपने स्वतंत्र विचार रखने चाहिए|

5. निदेशकों को व्यवसाय के सामान्य कार्यों के अलावा किसी भी रूप में अपने फैसले को प्रभावित करने वाले किसी तीसरे पक्ष से न ही कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही कुछ देना चाहिए ।

   इस संबंध में, निदेशकगण कम्पनी से संबंधित किसी कार्य हेतु किसी भी सरकारी अधिकारी अथवा संस्था या किसी अन्य कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नकद या किसी अन्य प्रकार से कोई लाभ या कोई व्यक्तिगत सहायता अथवा सहयोग नहीं लेंगे ।

   निदेशकगण कारोबार के सभी स्थानों पर आचार संहिता के प्रति जागरूक रहेंगे और पालन करेंगे। जिन देशों में कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय करती है, निदेशकगण वहां पर लागू रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के संदर्भ में अधिनियमित कानूनों और संबंधित स्थानीय नियमों के बारे में जागरूक रहेंगे और अनुपालना करेंगे|

हित-संघर्ष

1. निदेशकों को ऐसी स्थितिओं से बचना चाहिए जहाँ उनके अपने हित कंपनी के हितों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से टकराते हों| और इसके अलावा निदेशकगण अपने पद अथवा अधिकारों के आधार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना कोई हितलाभ नहीं तलाशेंगे|

2. निदेशक अपने अथवा अन्य किसी के लाभ के लिए कोई भी ऐसा कारोबार नहीं कर सकते हैं जोकि उस कंपनी के जिसमें वह निदेशक हैं के कारोबार के समान हो अथवा कंपनी के कारोबार के साथ प्रतिस्पर्धा करता हो| ऐसा तभी संभव है जबकि वे ऐसा करने की सूचना, शेयरधारकों को उनके निदेशक नियुक्त करने के प्रस्ताव वाली बैठक से पहले ही दे चुके हों|

3. निदेशकगण किसी समान कारोबार करने वाले अथवा कंपनी के कारोबार के साथ प्रतिस्पर्धा रखने वाले किसी अन्य कारोबार में साझेदार, अथवा साधारण साझेदार या सीमित दायित्व वाले सीमित साझेदारी में न ही साझेदार बन सकते हैं और न ही किसी इस प्रकार की प्राइवेट अथवा पब्लिक कंपनी में निदेशक बन सकते हैं जब तक कि ऐसा करने की सूचना वे शेयरधारकों को उनके निदेशक नियुक्त करने के प्रस्ताव वाली बैठक से पहले ही दे चुके हों|

4. निदेशकों को किसी भी ऐसे लेनदेन की सूचना देनी आवश्यक है जिसमें उनका कोई हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के हितों के साथ टकराव उत्पन्न करता हो ।

5. निदेशकगण उनके अपने अथवा अन्य किसी के लाभ के लिए, कंपनी या उससे सम्बद्ध संपत्तियों को न तो खरीद सकते हैं और न ही बेच सकते हैं और न ही कोई व्यावसायिक लेनदेन कर सकते हैं जब तक कि ऐसा करने की सूचना वे शेयरधारकों को उनके निदेशक नियुक्त करने के प्रस्ताव वाली बैठक से पहले ही दे चुके हों|

कंपनी के प्रतिभूति स्वामित्व का प्रकटीकरण

1. निदेशक अपने प्रतिभूति स्वामित्व, शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (यदि कोई हो) के अपने अधिग्रहण या निस्तारण के संबंध में कंपनी के प्रतिभूति और विनिमय आयोग के कार्यालय को स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से जानकारी देंगे और प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम बी.ई. 2535 के और संशोधन ("एसईसी अधिनियम 2535") के नियमों और विनियमों के द्वारा निर्दिष्ट एक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

   निदेशकों द्वारा अधिग्रहित या निस्तारित कंपनी के शेयर या अन्य प्रतिभूतियाँ (यदि कोई हैं) एसईसी अधिनियम में निर्दिष्ट 2535 की धारा 258 के अनुसार उनके पति या पत्नी या नाबालिग बच्चों अथवा अन्य व्यक्तियों के माने जायेंगे ।

2. निदेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी एसईसी अधिनियम 2535 के तहत कानून, नियमों, सूचनाओं, आदेशों अथवा थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज की किसी भी आवश्यकता का अनुपालन करे और विशेष रूप से संबंधित पक्ष के लेनदेन और कंपनी के महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के अधिग्रहण या निष्पादन पर सूचना के प्रकटीकरण के नियमों एवं प्रमाणित लेखाकार संस्थान और थाईलैंड के लेखा परीक्षक द्वारा स्थापित लेखा मानकों का अनुपालन करे ।

आंतरिक लेनदेन

1. निदेशकों को गोपनीय सूचनाओं अथवा ऐसी सभी आंतरिक सूचनाएँ जो प्रकाशित नहीं हुई है को गुप्त रखना चाहिए और इसका प्रयोग केवल कंपनी के व्यापारिक संचालन के उद्देश्यों के लिए ही करना चाहिए।

2. निदेशकगण गोपनीय सूचनाओं अथवा ऐसी सभी आंतरिक सूचनाएँ जो प्रकाशित नहीं हुई है को बाहर नहीं बताएँगे और न ही सूचनाओं का खुलासा करके खुद के लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ की तलाश करेंगे चाहे उसमें उनका हित हो अथवा नहीं ।

3. निदेशक आन्तरिक लेनदेन के संबंध में कंपनी के दिशानिर्देशों का और इस संबंध में कॉरपोरेट सचिव की किसी भी घोषणा का पालन करेंगे।